भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2784
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा को निरस्त करना

2784. श्रीमती जून मालिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासनिक, सामग्री और मजदूरी घटकों के अंतर्गत राज्यों को देय धनराशि (रुपये में) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था;

(ग) राज्यों को देय धनराशि का भुगतान किए जाने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि इसके अंतर्गत केवल पश्चिम बंगाल राज्य को ही 52,000 करोड़ रुपये देय हैं और यदि हां, तो धनराशि संवितरित किए जाने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): दिनांक 04.03.2026 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 और इसके तहत बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, योजनाएं, आदेश और दिशानिर्देश उस तिथि से निरस्त माने जाएंगे, जिसे केंद्र सरकार, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। केंद्र सरकार ने अभी तक विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के लागू होने की तिथि निर्धारित नहीं की है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। उचित प्रक्रियाओं के पालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि अंतरण आदेश के आधार पर, मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान की स्वीकृतियां दैनिक रूप से की जाती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियां, यदि कोई हों, की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का भुगतान (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर) कर दिया गया है।

सामग्री और प्रशासनिक घटकों के संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। केंद्र सरकार 'सहमत' श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधि उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र कार्य निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के आधार पर समय-समय पर दो खेपों में निधि जारी करती है जिसमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किस्त शामिल हो सकती हैं।

योजना के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में (04.03.2026 तक), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹80,616.39 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें मजदूरी घटक के लिए ₹65,519.35 करोड़ और सामग्री एवं प्रशासनिक घटक के लिए ₹15,097.03 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित प्रक्रियाओं के पालन के बाद प्राप्त निधि अंतरण आदेश के आधार पर मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान की स्वीकृतियां दैनिक आधार पर जारी की जाती हैं इसलिए निधि जारी होने की स्थिति दैनिक रूप से अद्यतन होती रहती है। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी देय और स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(घ): राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न किए जाने के कारण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए, 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई थी।

तथापि, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2025 के आदेश के अनुपालन में इस विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने के लिए दिनांक 06.12.2025 को आदेश जारी किए हैं जो विशेष शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के अध्यधीन है ताकि राज्य में योजना के प्रभावी और कानूनी कार्यान्वयन की सुविधाजनक बनाया जा सके। तदनुसार राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि महात्मा गांधी नरेगा योजना की अधिकार प्राप्त समिति उस पर विचार कर सके जो अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद अभी तक प्रतीक्षित है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कुल लंबित देनदारी (08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी घटक के तहत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के तहत ₹1607.68 करोड़ और प्रशासनिक घटक के तहत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2784 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 04.03.2026 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक
1	आंध्र प्रदेश	302.92	1776.60	108.65
2	अरुणाचल प्रदेश	139.84	21.84	1.54
3	असम	211.39	469.78	31.56
4	बिहार	678.05	1021.44	19.87
5	छत्तीसगढ़	542.56	12.54	12.59
6	गोवा	0.13	0.54	0.02
7	गुजरात	99.39	37.93	5.44
8	हरियाणा	15.72	11.01	1.11
9	हिमाचल प्रदेश	72.65	18.16	5.60
10	जम्मू और कश्मीर	193.95	272.94	18.37
11	झारखंड	387.80	240.23	7.70
12	कर्नाटक	261.60	725.95	61.92
13	केरल	378.06	251.69	58.18
14	लद्दाख	4.29	6.95	0.36
15	मध्य प्रदेश	554.70	467.28	46.94
16	महाराष्ट्र	411.42	0.00	39.94
17	मणिपुर	129.16	271.99	6.69
18	मेघालय	179.84	129.05	2.39
19	मिजोरम	63.84	0.00	6.00
20	नागालैंड	28.93	97.12	0.28
21	ओडिशा	481.14	18.79	13.48

22	पंजाब	64.53	137.48	4.00
23	राजस्थान	754.66	0.00	13.18
24	सिक्किम	2.81	0.00	0.04
25	तमिलनाडु	634.25	547.33	29.93
26	तेलंगाना	229.27	161.39	17.38
27	त्रिपुरा	20.33	107.89	21.57
28	उत्तर प्रदेश	909.53	1799.25	144.83
29	उत्तराखंड	90.55	9.00	2.91
30	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार	0.943	0.14	0.00
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.83	0.02	0.00
33	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
34	पुदूचेरी	0.15	0.22	0.86
कुल		7846.25	8614.55	683.33

टिप्पणी: पीएफएमएस/एमआईएस के आँकड़ें अनुसार सामग्री घटक के लिए पिछले वर्ष की लंबित देनदारी।

* पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु श्रम बजट में वृद्धि के संशोधन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), ग्रामीण विकास विभाग की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। तत्पश्चात, राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों के निरंतर अनुपालन न किए जाने के कारण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए, दिनांक 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया भी रोक दी गई थी।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लंबित देनदारी (08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है जिसमें मजदूरी घटक के तहत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के तहत ₹1607.68 करोड़ और प्रशासनिक घटक के तहत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है।